



2026:AHC:177737

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस

संख्या - 5144 वर्ष 2026

डॉ. परवीन @ कुमारी संजीदा @ कुमारी साजिदा

....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता

: अनीस बेग

प्रतिपक्षी (गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने 26.05.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अनीस बेग और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभी तक निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं और समय मांगा गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग की है।

4. वर्तमान आवेदन प्रकरण अपराध संख्या 282 वर्ष 2018, धारा 420 और 312 भारतीय दंड संहिता के तहत थाना टुंडला जिला फिरोजाबाद में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अभियुक्त आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिनांक 14.06.2018 को दर्ज की गई प्राथमिकी में अभियुक्त आवेदक को झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी में आरोप है कि अभियुक्त आवेदक, जो स्वयं को डॉक्टर बताती थी, एक क्लिनिक चलाती थी जहां वह एक महिला का गर्भपात करती थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। पीड़िता ने स्वयं बयान दिया है कि वह गर्भपात कराने आई थी। अभियुक्त आवेदक नर्सिंग का कोर्स कर रही है। अभियुक्त आवेदक अवर न्यायालय के समक्ष पेश होना चाहती है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से वह अंतरिम अग्रिम जमानत की मांग करती है।

6. अग्रिम जमानत के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन दूरदर्शी निर्णयों में समाहित किया गया है, जिनमें **गुरुबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 और सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और एक अन्य (2020) 5 एससीसी 1** शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठे या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी का आचरण और भागने का जोखिम आदि का मूल्यांकन करना चाहिए।

7. इस न्यायालय ने दलीलों, आरोप की गंभीरता और प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका पर विचार करते हुए, साथ ही भागने के कम जोखिम और विवेचना और मुकदमे में सहयोग करने के आरोपी के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम जमानत देने का उचित निर्णय लिया है।



8. उपर्युक्त प्रकरण में अपराध से संबंधित आवेदक डॉ. परवीन उर्फ कुमारी संजीदा उर्फ कुमारी साजिदा इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और उन्हें अगली निर्धारित तिथि तक अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते वे 25,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
- (iii) आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
- (v) आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत के मद्देनजर विवेचना अधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी।

9. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

10. इस प्रकरण को 21.8.2026 को सूचीबद्ध करें।

11. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अगली तिथि तक निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है।



2. आज जब इस प्रकरण की सुनवाई हुई, तो विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पूर्व आदेश में दर्ज दलीलों को दोहराया है। उन्होंने आगे कहा है कि आवेदक का कोई आपराधिक अभिलेख नहीं है और इस न्यायालय द्वारा उसे अंतरिम अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। आवेदक कार्यवाही में शामिल हो गया है और मुकदमे के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करता रहेगा।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है, हालांकि, वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक दलीलों का खंडन नहीं कर सके।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर ध्यान दिया है।
6. आवेदक अंतरिम अग्रिम जमानत पर है और संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही में शामिल हो चुकी है। आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है और अब उसे किसी भी प्रकार की हिरासत में पूछताछ के लिए आवश्यक नहीं है। अंतरिम अग्रिम जमानत पर चल रही आवेदक ने इस न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है।
7. उपरोक्त के मद्देनजर, मैं इस न्यायालय के दिनांक 26.05.2026 के पूर्व आदेश द्वारा आवेदक को दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करना उचित समझता हूँ।
8. आवेदक की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।
9. आवेदक डॉ. परवीन उर्फ कुमारी संजीदा उर्फ कुमारी साजिदा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें प्रकरण संख्या 282 वर्ष 2018, धारा 420 और 312 भारतीय दंड संहिता के तहत, थाना टुंडला, जिला फिरोजाबाद में दिनांक 26.05.2026 के आदेश में निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार अग्रिम जमानत पर तुरन्त रिहा कर दिया जाएगा।

21 अगस्त, 2026

सचिन

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)